प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (iiक) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे किसी ऐसी कंपनी को, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, संदत्त किसी राशि के एक बटा चार गुना के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जा सके ।

उक्त खंड (iiक) के परंतुक का उपखंड (ग) इस शर्त का उपबंध करता है कि ऐसी कंपनी को कटौती उपलब्ध होगी यदि वह तत्समय प्रवृत्त विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त परंतुक का उपखंड (घ) यह उपबंध करता है कि ऐसी कंपनी ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करेगी जो विहित की जाएं।

बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्राधिकारी को विहित करने, ऐसी रीति का, जिसमें ऐसा प्राधिकारी किसी कंपनी को अनुमोदन दे सकेगा और उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र कंपनी द्वारा पूरा किए जाने वाली अन्य शर्तें विहित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जो अंतरण न माने गए संव्यवहारों से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (ख) एक नया खंड (xi) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि अंतरण न समझे गए व्यवहारों की सूची में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए और अधिसूचित की जाने वाली स्कीम के अधीन पूंजी आस्ति के प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार को सम्मिलित किया जा सके ।

केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित खंड के प्रयोजनों के लिए प्रतिवर्ती बंधक की स्कीम बनाने और अधिसूचित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों के लाभ और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (ख) उक्त धारा में एक नई उपधारा (11ग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे पांच वर्षीय कर छूट को उसमें विनिर्दिष्ट सात नगर क्षेत्रों और जिलों और नगरों के सिवाय भारत में कहीं भी अवस्थित ऐसे अस्पतालों के संबंध में विस्तारित किया जा सके, जो 1 अप्रैल, 2008 और 31 मार्च, 2013 के बीच की अवधि के दौरान संनिर्मित किए गए हैं या जिन्होंने कार्य करना आरंभ किया है ।

प्रस्तावित धारा का खंड (iv) यह उपबंध करता है कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विवरणियों वाली संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए ।

बोर्ड को नियमों द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्ररूप और संपरीक्षा रिपोर्ट की विशिष्टियां विहित करने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम की धारा 115बख का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि अनुषंगी फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को तब उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे, यदि वह उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कोई व्यय उपगत करता है ।

उक्त उपधारा का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि उपखंड (i) और उपखंड (ii) में उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक प्रकार के सत्कार का कोई उपबंध नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदे समझे जाएंगे ।

उक्त खंड के उपखंड (ख) की मद (I) उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में एक नया उपखंड (iii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भोजन स्थल या दुकानों पर भी प्रयोग किए जाने योग्य अहस्तांतरणीय पूर्व संदत्त इलेक्ट्रानिक मील कार्ड के द्वारा किया गया कोई व्यय या संदाय भी, जो ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है जो विहित की जाएं, अनुषंगी फायदा कर की संगणना के लिए सत्कार व्यय से अपवर्जित होगा ।

बोर्ड को नियमों द्वारा खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऐसी अन्य शर्तें विहित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों के निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त खंड उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित और उक्त धारा में नई उपधाराएं (1क) से (1ग) अंतःस्थापित करने के लिए भी है ।

प्रस्तावित उपधारा (1क) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) के अधीन विवरणियां कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन यथा अपेक्षित निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की केंद्रीयकृत कार्यवाहियों के लिए स्कीम बना सकेगा ।

बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विवरणियों की केंद्रीयकृत कार्यवाही के संबंध में स्कीम बनाने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है जो आय के निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने और उक्त धारा में उपधाराएं (1क) से (1ग) अंतःस्थापित करने के लिए भी है ।

प्रस्तावित उक्त उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन विवरणियों की कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए बोर्ड उक्त उपधारा के अधीन यथा अपेक्षित निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की केंद्रीयकृत कार्यवाहियों के लिए स्कीम बना सकेगा ।

बोर्ड को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विवरणियों की केंद्रीयकृत कार्यवाही के लिए स्कीम बनाने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है ।

उक्त खंड उक्त धारा में एक नई उपधारा (6) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर की कटौती के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी के खाते में अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य किसी व्यय या किसी अन्य राशि को जमा करते समय ऐसी राशि के संदाय के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप और रीति विहित करने हेतु सशक्त बनाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 42 धारा 199 के स्थान पर एक नई धारा रखने के लिए है जो कटौती किए गए कर के प्रत्यय से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार काटे गए कर या संदत्त कर की बाबत प्रत्यय देने के प्रयोजनों के लिए ऐसे नियम बना सकेगा जो आवयक हों, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित धारा की उपधारा (1)

और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुजरा देने और उस निर्धारण वर्ष के लिए भी जिसके लिए ऐसा प्रत्यय दिया जा सकेगा, प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं ।

तदनुसार, बोर्ड को संदत्त या कटौती किए गए कर की बाबत प्रत्यय देने के लिए ऐसे नियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है जो एल्कोहाली लिकर, वन उत्पाद, स्क्रैप आदि में व्यवहार के कारबार से लाभ और अभिलाभों से संबंधित है ।

उक्त खंड का उपखंड (क) उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से, जिससे रकम संगृहीत की गई है, कर का संदाय समझी जाएगी और उसे बोर्ड द्वारा विहित नियमों के अनुसार इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए प्रत्यय दिया जाएगा ।

बोर्ड को नियमों द्वारा वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है जिसमें ऐसा प्रत्यय दिया जाएगा।

खंड 69 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने के लिए है जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को उस रीति की बाबत जिसमें किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित या निर्यात किए जाने वाला माल प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित किया जा सकेगा, या अन्यथा उसकी देखभाल की जा सकेगी और ऐसे क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों की बाबत भी विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 74 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में नई धारा 3क अंतःस्थापित करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार को अधिसूचित माल की बाबत उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (2) केंद्रीय सरकार को कारखाने के वार्षिक उत्पादन के अवधारण की रीति का उपबंध करने, ऐसे माल के उत्पादन से सुसंगत कारक विनिर्दिष्ट करने, और उस कारखाने के उत्पादन की वार्षिक क्षमता के अवधारण जिसमें ऐसे सुसंगत कारक के आधार पर ऐसा माल उत्पादित किया जाता है, उसके लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा अधिसूचित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की दर नियत करने के लिए और उस रीति की बाबत भी, जिसमें ऐसा शुल्क संगृहीत किया जाएगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

खंड 85 का उपखंड (घ) वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को स्कीम के अधीन उस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के माध्यम से सेवा कर की विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए स्कीम बनाने के लिए सशक्त करती है। स्कीम को संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

उक्त खंड का उपखंड (ञ) अधिनियम की धारा 95 में एक नई उपधारा (1ङ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कठिनाइयों को दूर करने से संबंधित है ।

प्रस्तावित उपधारा केंद्रीय सरकार को ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो प्रस्तावित विधान द्वारा समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य का कार्यान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण करने में उत्पन्न हो, दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है । उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा कोई आदेश विधेयक की अनुमति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से परे नहीं किया जाएगा ।

विधेयक के खंड 86 से खंड 96 में कतिपय कर बकायों के समाधान के लिए सेवा कर समाधान स्कीम, 2008 से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। खंड 87 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अभिहित प्राधिकारी को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव करता है ।

खंड 96 केंद्रीय सरकार को (क) वह प्ररूप, जिसमें धारा 89 के अधीन घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा सत्यापित की जा सकेगी, (ख) उस प्रमाणपत्र का प्ररूप, जो धारा 90 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया जा सकेगा, (ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, विहित करने की शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव करता है । स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

विधेयक का अध्याय 7 वस्तु संव्यवहार कर के उद्ग्रहण, संग्रहण और वसूली, विवरणियां देने, निर्धारण प्रक्रिया, निर्धारण अधिकारी की शक्ति, ब्याज प्रभारित करना, शास्ति के उद्ग्रहण, अभियोजन के सत्यापन और अपीलें फाइल करने, आदि का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 102 यह उपबंध करता है कि ऐसा निर्धारिती, जो वस्तु संव्यवहार कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी मान्यताप्राप्त संगम है, ऐसी परिसीमा काल के भीतर ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित विवरणी देगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां वर्णित होंगी जो विहित की जाएं ।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी उपबंध है कि जहां ऐसी विवरणी विहित परिसीमा काल के भीतर नहीं दी गई हैं, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती से यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी कर सकेगा कि वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित विवरणी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां वर्णित हों, ऐसे समय के भीतर जो विहित किए जाएं, दे ।

केंद्रीय सरकार को परिसीमा काल विनिर्दिष्ट करने और ऐसे निर्धारिती द्वारा फाइल की जाने वाली विवरणी का प्ररूप, सत्यापन की रीति और उसमें वर्णित की जाने वाली विशिष्टियों का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार को ऐसे निर्धारिती द्वारा, जिसे उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी की गई है, फाइल की जाने वाली ऐसी विवरणी के प्ररूप, सत्यापन की रीति, विवरणी में वर्णित की जाने वाली विशिष्टियों और विवरणी फाइल करने के लिए परिसीमा काल का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 111 यह उपबंध करता है कि ऐसा निर्धारिती जो निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के किसी आदेश से व्यथित है, आय-कर आयुक्त (अपील) को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित अपील कर सकेगा जो विहित की जाए ।

केंद्रीय सरकार को उक्त उपबंध के प्रयोजनों के लिए सत्यापन के प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का खंड 112 यह उपबंध करता है कि ऐसा निर्धारिती जो आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, अपील अधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित अपील कर सकेगा जो विहित की जाए ।

केंद्रीय सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए प्ररूप और सत्यापन की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने का प्रस्ताव है ।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना जारी की जा सकेगी या नियम बनाए जा सकेंगें, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।